

15-12-20

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
पत्रावली का नवामोक्षण किया। जिसमें
जोहर हुआ कि विपक्षी की तरफ से
पूर्व में दिनांक 29-9-17, 14-11-17, 12-9-18,
5-2-19, 27-8-19 एवं 3-12-20 को नोटिस
लगाया गया पेश करने के लिए वकील प्रार्थी
को पेश प्रदान किया है। कावजुद वकील प्रार्थी
द्वारा नोटिस प्रोसेस पेश नहीं कर व्यायात्रय
का समय जाया किया है। अतः प्रकरण
आदेश 9 नियम 5 के तहत रखा
रिखा जात है। पत्रावली के द्वारा सुनने
होकर नगर से नगरी।